समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला प्रोग्राम शाखा)

:- आदेश :-

दिनांक 17-07-2014 को आयोजित जिला जनता दरबार में श्री चन्देश्वरी यादव पिता स्व0 चुल्हाय यादव साकिन बेतौना पंचायत सकरपुरा द्वारा एक परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि ग्राम पंचायत बेतौना में मिथलेश कुमार पिता चन्देश्वरी यादव ने अपनी पत्नी रिंकी देवी के नाम से गाँव एवं पति के पिता का गलत नाम देकर आँगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है, जबकि वास्तव में श्री मिथलेश कुमार के पिता का नाम श्री शीतल यादव, ग्राम-दीनापट्टी पो0-मुरहो है एवं उनकी पत्नी का नाम रिंकी देवी है। इस प्रकार पिता का नाम एवं गाँव का नाम बदलकर आँगनवाड़ी सेविका के पद पर आवेदन दिया गया है, जो सर्वथा गलत है। श्री चन्देश्वरी यादव का यह भी कहना है कि मिथलेश कुमार न तो उनका पुत्र हैं और न रिंकी कुमारी इनकी पुत्रवधु है। इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत मुरहो द्वारा भी यह प्रमाण पत्र दिया गया है श्रीमती रिंकी देवी पिता श्री विशुनदेव यादव, पति श्री मिथलेश कुमार यादव पिता श्री शीतल यादव निवासी ग्राम दीनापट्टी (पड़िया), ग्राम पंचायत- मुरहो, थाना+जिला-मधेपुरा का स्थायी निवासी है। वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना वार्ड नं0-13 मधेपुरा ने भी प्रमाण पत्र दिया है कि श्रीमती चन्द्रकला देवी पति श्री चन्देश्वरी यादव निवासी ग्राम बेतौना वार्ड नं0-13 ग्राम पंचायत -सकरपुरा बेतौना, थाना-मधेपुरा (भर्राही ओ0पी0), जिला-मधेपुरा का स्थायी निवासी हैं, जिन्हें 1-पुत्री रंजू देवी एवं 2-पुत्र चंचल कुमार तथा 3-चंदन कुमार हैं।

उक्त परिवाद पत्र के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 1988/गो0 दिनांक 17-07-2014 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी यथा 1-श्री मिथलेश कुमार, पिता श्री शीतल यादव, ग्राम-दीनापट्टी पड़रिया, वार्ड नं0-2 पो0-मुरहो, प्रखंड-मधेपुरा, 2-श्री शीतल यादव, ग्राम-दीनापट्टी पड़रिया, वार्ड नं0-2, पो0-मुरहो, प्रखंड-मधेपुरा 3-श्रीमती मुलुर देवी, पति-श्री शीतल यादव, ग्राम- दीनापट्टी पड़रिया, वार्ड नं0-2पो0-मुरहो, प्रखंड-मधेपुरा 4-श्री चन्देश्वरी यादव, पिता-स्व0 चुल्हाय यादव साकिन-बेतौना, पंचायत-सकरपुरा 5-श्रीमती चन्द्रकला देवी, पति श्री विन्देश्वरी यादव साकिन-बेतौना, पंचायत-सकरपुरा दोनों पक्ष को निदेशित किया गया कि दिनांक 24-07-2014 को समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित जनता दरबार में साक्ष्य के साथ 10:00 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित रहें ताकि दोनों पक्षों की सुनवाई कर यथोचित निर्णय लिया जा सके।

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1988/गो0 दिनांक 17-07-2014 के द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालनार्थ दिनांक 24-07-2014 को समाहरणालय मधेपुरा के सभाकक्ष में आयोजित जनता दरबार में वादी श्री चन्देश्वरी यादव साकिन-बेतौना, पो0-गोढ़ैला, ग्राम पंचायत-सकरपुरा बेतौना एवं उनकी पत्नी चन्द्रकला देवी पति चन्देश्वरी यादव साकिन-बेतौना पो0-गोढ़ैला, ग्राम पंचायत-सकरपुरा बेतौना तथा प्रतिवादी श्री मिथलेश कुमार, पिता चन्देश्वरी यादव साकिन बेतौना, पो0-गोढ़ैला, ग्राम पंचायत-सकरपुरा बेतौना एवं उनकी पत्नी श्रीमती रिंकी कुमारी पति मिथलेश कुमार साकिन बेतौना, पो0-गोढ़ैला, ग्राम पंचायत-सकरपुरा बेतौना तथा

मिथलेश कुमार की माता सुलेना देवी पति शीतल यादव साकिन दीनापट्टी पड़रिया एवं श्री मिथलेश कुमार के नाना श्री बच्चा लाल यादव साकिन गौरीपुर पंचायत-गौरीपुर थाना-सिंहेश्वर उपस्थित हुए।

प्रतिवादी श्री मिथलेश कुमार ने दिनांक 24-07-2014 को आयोजित जनता दरबार में बताया कि उनकी माता श्रीमती सुलेना देवी की पहली शादी दिनांक 11-05-1984 को श्री चन्देश्वरी यादव पिता स्व0 चुल्हाय यादव, ग्राम-बेतौना, पो0-गोढ़ैला के साथ बाबा सिंहेश्वर मंदिर में हुयी थी। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में न्यास समिति, सिंहेश्वर द्वारा निर्गत विवाह रसीद की मूल प्रति दिखाया गया एवं उसकी छायाप्रति जनता दरबार में दाखिल किया गया। उक्त रसीद पर श्री चन्देश्वरी यादव का हस्ताक्षर एवं सुलेना देवी के अँगूठे का निशान अंकित है। श्री चन्देश्वरी यादव का हस्ताक्षर शादी के इस रसीद के हस्ताक्षर से मिलता है। श्री मिथलेश कुमार के साक्ष्य का समर्थन मिथलेश कुमार की माता श्रीमती सुलेना देवी किया एवं बताया कि उनकी पहली शादी श्री चन्देश्वरी यादव साकिन-बेतौना पो0-गोढ़ैला, ग्राम पंचायत-सकरपुरा बेतौना से सिंहेश्वर मंदिर में हुयी थी तथा एक लड़का श्री मिथलेश कुमार एवं एक लड़की नूरो कुमारी का जन्म हुआ था। श्री चन्देश्वरी यादव साकिन-बेतौना पो0-गोढ़ैला, ग्राम पंचायत-सकरपुरा बेतौना द्वारा उन्हें प्रताड़ित कर छोड़ दिया गया एवं वे दूसरी शादी श्रीमती चन्द्रकला देवी के साथ कर लिये। लेकिन उनके पुत्र श्री मिथलेश कुमार एवं पुत्री नुरो कुमारी श्री चन्देश्वरी यादव के साथ ही रहने लगे तथा इन्हीं के द्वारा श्री मिथलेश कुमार की शादी रिंकी कुमारी से की गयी तथा दहेज के प्रलोभन में पुत्रवधु श्रीमती रिंकी कुमारी को भी प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रतिवादी श्री मिथलेश कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि श्री चन्देश्वरी यादव द्वारा उनकी शादी रिंकी कुमारी के साथ की गयी और दहेज के प्रलोभन में उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसके संबंध में श्रीमती रिंकी देवी द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा के यहाँ परिवाद पत्र संख्या 846 /2011 दिनांक 10-10-2011 के यहाँ दायर किया गया था, जिसकी छायाप्रति भी जनता दरबार में उनके द्वारा दाखिल किया गया। इसके अतिरिक्त श्री मिथलेश कुमार के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र तथा मतदाता सूची की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जिसमें पिता का नाम चन्देश्वरी यादव अंकित है। उसी प्रकार श्रीमती रिंकी देवी पति श्री मिथलेश कुमार द्वारा अंचलाधिकारी मधेपुरा द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र संख्या 1674 दिनांक 28-04-2013 की छायाप्रति समर्पित किया गया, जिसमें गाँव का नाम बेतौना पो0 गोढ़ैला, थाना-मधेपुरा प्रखंड-मधेपुरा अनुमंडल-मधेपुरा जिला -मधेपुरा का स्थायी निवासी होना अंकित है। उसी प्रकार श्री मिथलेश कुमार के नाना एवं सुलेना देवी के पिता श्री बच्चा लाल यादव साकिन गोरीपुर थाना सिंहेश्वर ने भी जनता दरबार में उपस्थित होकर बताया कि उनकी पुत्री सुलेना देवी की शादी श्री चन्देश्वरी यादव साकिन बेतौना पो0-गोढ़ैला पंचायत -सकरपुरा बेतौना के साथ बाबा सिंहेश्वर मंदिर में दिनांक 11-05-1984 को हुयी थी एवं विवाह का रसीद भी कटाया गया था, जिसपर श्री चन्देश्वरी यादव का हस्ताक्षर एवं उनकी पुत्री सुलेना देवी के अंगूठे का भी निशान लिया गया था। श्री मिथलेश कुमार की बहन ने भी जनता दरबार में उपस्थित होकर श्री चन्देश्वरी यादव को पहचाना एवं यह बताया कि ये मेरे पिताजी हैं।

दिनांक 24-07-2014 को वादी श्री चन्देश्वरी यादव को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, परन्तु वे दिनांक 17-07-2014 को जनता दरबार में समर्पित परिवाद पत्र जिसका वर्णन इस कार्यालय के पत्रांक 1988/गो0 दिनांक 17-07-2014 में किया गया है, के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे के यह प्रमाणित हो कि श्री मिथलेश कुमार उनका पुत्र तथा श्रीमती रिंकी देवी पुत्रवधु नहीं है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में दिनांक 24-07-2014 को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जनता दरबार में श्री मिथलेश कुमार द्वारा समर्पित साक्ष्य से स्पष्ट है कि वे श्री चन्देश्वरी यादव के पहली पत्नी श्रीमती सुलेना देवी के पुत्र हैं तथा श्रीमती रिंकी देवी उनकी पुत्रवधु हैं, फलस्वरूप वादी द्वारा दिनांक 17-07-2014 समर्पित परिवाद पत्र भ्रामक एवं तथ्य से परे है। अतएव उक्त परिवाद को निरस्त किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 995-2, मधेपुरा दिनांक 01/08/14

प्रतिलिपि : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वादी श्री चन्देश्वरी यादव पिता स्व0 चुल्हाय यादव, /श्री मिथलेश कुमार पिता श्री चन्देश्वरी यादव साकिन-बेतौना, पंचायत-सकरपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(हस्ताक्षर) 01/08/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।